सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 58

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	2377.89	381.88	2759.77	2603.01	394.11	2997.12	2610.70	400.33	3011.03	2990.00	464.22	3454.22
पूंजी	***6.68***	*0.15*	*6.83*	*9.50*	*0.80*	*10.30*	*9.30*	*0.55*	*9.85*	*10.00*	*0.55*	*10.55*
जोड़	**2384.57**	**382.03**	**2766.60**	**2612.51**	**394.91**	**3007.42**	**2620.00**	**400.88**	**3020.88**	**3000.00**	**464.77**	**3464.77**
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय आर्थिक सेवा 3451	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14.11	14.11
2. खादी ग्राम और कॉयर उद्योग विकास												
2.01 खादी अनुदान 2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	28.00	285.35	313.35
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*30.00*	*285.35*	*315.35*
2.02 ग्राम उद्योग (VI) अनुदान 2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	34.37	...	34.37
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*34.37*	...	*34.37*
2.03 खादी, VI और कॉयर (एस एंड टी) 2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*9.00*	...	*9.00*
2.04 खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता) 2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.50	...	4.50
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*5.00*	...	*5.00*
2.05 बाजार संवर्धन और विकास सहायता 2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	331.63	...	331.63
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*341.63*	...	*341.63*
2.06 परम्परागत उद्योग पुन: सृजन निधि योजना)स्फूर्ति 2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7.50	...	7.50
2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	67.50	...	67.50
जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*75.00*	...	*75.00*

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
2.07	कॉयर विकास योजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.50	...	1.50
		2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	13.50	30.45	43.95
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*15.00*	*30.45*	*45.45*
2.08	कॉयर उद्यमी योजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
		2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18.00	...	18.00
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*20.00*	...	*20.00*
2.09	खादी, ग्राम और कॉयर उद्योग ऋण	6851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.55	0.55
जोड़- खादी ग्राम और कॉयर उद्योग विकास			...	...	...	...	...	...	...	...	...	*530.00*	*316.35*	*846.35*
3.	*प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन*													
3.01	नवाचार ग्राम उद्योग और उद्यमशीलता संवर्धन	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
		2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	90.00	...	90.00
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*100.00*	...	*100.00*
3.02	राष्ट्रीय विपणन प्रतियोगितात्मकता कार्यक्रम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	52.90	...	52.90
		2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	332.10	...	332.10
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*385.00*	...	*385.00*
जोड़- प्रौद्योगिकी स्तरोन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन			...	...	...	...	...	...	...	...	...	*485.00*	...	*485.00*
4.	*प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजनाएं*													
4.01	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	148.00	...	148.00
		2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	991.00	...	991.00
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1139.00*	...	*1139.00*
4.02	ब्याज इमदाद पात्रता प्रमाणपत्र	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	49.50	...	49.50
4.03	ऋण सहायता कार्यक्रम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	10.00	...	10.00
		2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	40.00	...	40.00
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*50.00*	...	*50.00*
4.04	भारत समावेशी नवाचार निधि	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
		2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.90	...	0.90
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1.00*	...	*1.00*
4.05	कार्यनिष्पादन और ऋण दर निर्धारण योजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.90	...	25.90
		2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	174.10	...	174.10
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*200.00*	...	*200.00*
जोड़- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और अन्य ऋण सहायता योजनाएं			...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1439.50*	...	*1439.50*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
5. विपणन संवर्धन योजना													
5.01 विपणन विकास सहायता	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.15	...	1.15
	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	14.35	...	14.35
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*15.50*	...	*15.50*
5.02 विपणन सहायता योजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17.00	...	17.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*20.00*	...	*20.00*
5.03 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7.90	...	7.90
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*8.00*	...	*8.00*
जोड़- विपणन संवर्धन योजना		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*43.50*	...	*43.50*
6. उद्यमशीलता और कौशल विकास													
6.01 महात्मा गांधी ग्राम उद्योकीकरण संस्थान	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	6.50	3.65	10.15
6.02 संवर्धन सेवा संस्था और कार्यक्रम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.55	...	3.55
	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	29.45	105.20	134.65
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*33.00*	*105.20*	*138.20*
6.03 प्रशिक्षण संस्था सहायता	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.10	...	2.10
	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	77.89	...	77.89
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*79.99*	...	*79.99*
6.04 राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	...	1.00
6.05 एम एस एम ई निधि	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- उद्यमशीलता और कौशल विकास		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*120.50*	*108.85*	*229.35*
7. अवसंरचना विकास कार्यक्रम													
7.01 अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18.00	...	18.00
	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	248.00	...	248.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*266.00*	...	*266.00*
7.02 ईएपी घटक	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75.00	...	75.00
7.03 कार्यालय का निर्माण - सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4059	...	...	...	...	...	...	...	...	...	9.50	...	9.50
	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.50	...	0.50
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*10.00*	...	*10.00*
जोड़- अवसंरचना विकास कार्यक्रम		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*351.00*	...	*351.00*
8. अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन													

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
8.01 डाटा बेस स्तरोन्नयन	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.20	...	0.20
	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	28.30	...	28.30
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*28.50*	...	*28.50*
8.02 सर्वेक्षण अध्ययन और नीतिगत अनुसंधान	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2.00	...	2.00
जोड़- अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*30.50*	...	*30.50*
9. विकास आयुक्त (एम एस एम ई)	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.46	25.46
सं.अ. 2015-2016													
10. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	10.79	10.79	...	11.50	11.50	...	12.37	12.37	...	...	...
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (मएसएमई)													
11. ऋण सहायता कार्यक्रम	2851	74.99	...	74.99	20.25	...	20.25	53.00	...	53.00	...	...	...
12. गुणवत्ता प्रौद्योगिकी सहायता संस्था तथा कार्यक्रम	2851	432.45	...	432.45	299.98	...	299.98	344.61	...	344.61	...	...	...
13. एसएमई संवर्धन स्कीमे													
13.01 सर्वेक्षण अध्ययन और नीतिगत योजना	2851	0.54	...	0.54	2.28	...	2.28	0.28	...	0.28	...	...	...
13.02 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	2851	3.94	...	3.94	3.80	...	3.80	3.80	...	3.80	...	...	...
13.03 निष्पादन एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम	2851	88.00	...	88.00	26.00	...	26.00	45.00	...	45.00	...	...	...
13.04 विपणन सहायता योजना	2851	11.68	...	11.68	12.00	...	12.00	14.52	...	14.52	...	...	...
जोड़- एसएमई संवर्धन स्कीमे		*104.16*	...	*104.16*	*44.08*	...	*44.08*	*63.60*	...	*63.60*	...	...	...
14. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	2851	86.25	...	86.25	70.37	...	70.37	70.37	...	70.37	...	...	...
15. राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना	2851	2.00	...	2.00	0.90	...	0.90	1.00	...	1.00	...	...	...
16. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	2851	...	19.95	19.95	...	21.86	21.86	...	21.16	21.16	...	...	...
17. संवर्धनात्मक सेवा संस्थाए और कार्यक्रम	2851	35.17	94.34	129.51	31.60	102.47	134.07	32.10	95.45	127.55	...	...	...
18. अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण (पूर्व एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम एवं एमएसएमई विकास स्तंभ)													
18.01 कार्यक्रम घटक	2851	187.63	...	187.63	192.50	...	192.50	184.50	...	184.50	...	...	...
18.02 ईएपी घटक	2851	5.03	...	5.03	97.00	...	97.00	40.00	...	40.00	...	...	...
जोड़- अवसंरचना विकास एवं क्षमता निर्माण (पूर्व एमएसएमई क्लस्टर विकास कार्यक्रम एवं एमएसएमई विकास स्तंभ)		*192.66*	...	*192.66*	*289.50*	...	*289.50*	*224.50*	...	*224.50*	...	...	...
19. विपणन विकास सहायता कार्यक्रम	2851	11.10	...	11.10	17.91	...	17.91	14.42	...	14.42	...	...	...
20. डाटाबेस को अद्यतन करना	2851	13.16	...	13.16	59.96	...	59.96	26.50	...	26.50	...	...	...
	3601	...	...	...	0.02	...	0.02	...	...	...	...	...	...
	3602	...	...	...	0.02	...	0.02	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*13.16*	...	*13.16*	*60.00*	...	*60.00*	*26.50*	...	*26.50*	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
21. कार्यालय आवास का निर्माण-ग्राम और लघु उद्योग	4059	6.68	...	6.68	9.50	...	9.50	9.30	...	9.30	...	...	...
22. भारत समावेशी नवोन्मेष निधि (पूर्व राष्ट्रीय नवोन्मेष निधि)	2851	...	...	...	20.00	...	20.00	0.20	...	0.20	...	...	...
जोड़-सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (मएसएमई)		**958.62**	**114.29**	**1072.91**	**864.09**	**124.33**	**988.42**	**839.60**	**116.61**	**956.21**	**...**	**...**	**...**
खादी एवं ग्राम उद्योग													
खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग													
23. खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग													
23.01 खादी उद्योग													
23.01.01 खादी के लिए एमडीए सहित खादी अनुदान	2851	177.23	221.95	399.18	131.26	201.98	333.24	131.26	228.98	360.24	...	...	...
23.01.02 खादी (एसएंडटी)	2851	...	...	...	0.99	...	0.99	0.10	...	0.10	...	...	...
जोड़- खादी उद्योग		*177.23*	*221.95*	*399.18*	*132.25*	*201.98*	*334.23*	*131.36*	*228.98*	*360.34*	*...*	*...*	*...*
23.02 अन्य ग्राम उद्योग													
23.02.01 वीआई अनुदान	2851	53.50	5.36	58.86	32.21	...	32.21	29.71	...	29.71	...	...	...
23.02.02 वीआई (एसएंडटी)	2851	...	...	...	0.99	...	0.99	0.10	...	0.10	...	...	...
जोड़- अन्य ग्राम उद्योग		*53.50*	*5.36*	*58.86*	*33.20*	*...*	*33.20*	*29.81*	*...*	*29.81*	*...*	*...*	*...*
23.03 खादी कारीगरों के लिए जनश्री बीमा योजना (स्वास्थ्य बीमा के नवीन संघटक सहित)	2851	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	...	...	...
23.04 केवीआई क्षेत्र में अवसंरचना तथा कौशल समूह का विकास	2851	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	...	...	...
23.05 वीआई का संवर्धन तथा विद्यमान कमजोर वीआई का विकास (कमजोर VI संस्थानों के पुनरुज्जीवन के लिए नए संघटक सहित)	2851	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	...	...	...
23.06 बाजार संवर्धन (जिसमें निर्यात संवर्धन शामिल है) और प्रचार (विपणन परिसरों/प्लाजाओं के नए संघटक शामिल हें) तथा आशोधित एमडीए	2851	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	...	...	...
23.07 खादी और VI (एस एंड टी)और एक अनन्य विरासत और हरित उत्पाद के रुप में खादी संवर्धन हेतु योजना (स्पोक)	2851	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	...	...	...
जोड़- खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग		*230.73*	*227.31*	*458.04*	*165.60*	*201.98*	*367.58*	*161.17*	*228.98*	*390.15*	*...*	*...*	*...*
24. ब्याज सब्सिडियां													

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
24.01 खादी उद्योग	2851	...	...	...	0.10	21.25	21.35	...	10.12	10.12	...	...	...
24.02 अन्य ग्रामोद्योग	2851	...	...	...	0.10	5.36	5.46	...	5.36	5.36	...	...	...
जोड़- ब्याज सब्सिडियां		*...*	*...*	*...*	*0.20*	*26.61*	*26.81*	*...*	*15.48*	*15.48*	*...*	*...*	*...*
25. खादी और पोलीवस्त्र के लिए ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र	2851	38.32	...	38.32	40.07	...	40.07	40.07	...	40.07	...	...	...
26. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान	2851	4.10	3.13	7.23	3.63	3.24	6.87	3.63	3.24	6.87	...	...	...
27. पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति-खादी)													
27.01 स्फूर्ति - केवीआईसी	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.02 स्फूर्ति	2851	...	...	...	45.00	...	45.00	32.78	...	32.78	...	...	...
27.03 खादी कामगारों के लिए वर्कशेड योजना	2851	14.99	...	14.99	5.94	...	5.94	7.84	...	7.84	...	...	...
27.04 खादी उद्योगों और कामगारों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए योजना	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27.05 मौजूदा कमजोर खादी संस्थानों की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना हेतु सहायता	2851	4.33	...	4.33	2.70	...	2.70	1.95	...	1.95	...	...	...
जोड़- पारंपरिक उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति-खादी)		*19.32*	*...*	*19.32*	*53.64*	*...*	*53.64*	*42.57*	*...*	*42.57*	*...*	*...*	*...*
28. खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	2851	28.00	...	28.00	59.85	...	59.85	59.85	...	59.85	...	...	...
29. खादी सुधार विकास पैकेज (एडीबी सहायता)	2851	5.00	...	5.00	180.00	...	180.00	96.00	...	96.00	...	...	...
30. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को ऋण	6851	...	...	...	...	0.50	0.50	...	0.25	0.25	...	...	...
जोड़-खादी एवं ग्राम उद्योग		**325.47**	**230.44**	**555.91**	**502.99**	**232.33**	**735.32**	**403.29**	**247.95**	**651.24**	**...**	**...**	**...**
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम													
31. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	2851	1063.04	...	1063.04	938.63	...	938.63	1134.22	...	1134.22	...	...	...
32. कॉयर उद्योग													
32.01 कॉयर बोर्ड	6851	...	0.15	0.15	...	0.30	0.30	...	0.30	0.30	...	...	...
32.01.01 कॉयर बोर्ड योजना (एसएंडटी)	2851	5.30	...	5.30	2.70	...	2.70	2.70	...	2.70	...	...	...
32.01.02 कॉयर बोर्ड योजना (सामान्य)	2851	29.27	26.45	55.72	23.78	26.45	50.23	16.55	23.65	40.20	...	...	...
जोड़- कॉयर बोर्ड		*34.57*	*26.60*	*61.17*	*26.48*	*26.75*	*53.23*	*19.25*	*23.95*	*43.20*	*...*	*...*	*...*
32.02 कॉयर उद्योगों का आधुनिकीकरण, नवीकरण तथा प्रौद्योगिक उन्नयन	2851	4.00	...	4.00	18.00	...	18.00	12.00	...	12.00	...	...	...
32.03 पारंपरिक अद्योगों के पुनरुत्थान के लिए निधि संबंधी योजना (स्फूर्ति-कॉयर)	2851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़- कॉयर उद्योग		*38.57*	*26.60*	*65.17*	*44.48*	*26.75*	*71.23*	*31.25*	*23.95*	*55.20*	*...*	*...*	*...*

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना /योजनाओं हेतु प्रावधान													
33.	*पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना /योजनाओं हेतु प्रावधान*												
33.01	एसएमई प्रभाग 2552	...	...	...	13.83	...	13.83	8.85	...	8.85	...	...	...
33.02	राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना 2552	...	...	...	0.10	...	0.10	...	...	...	...	...	...
33.03	विकास आयुक्त (एमएसएमई) 2552	...	...	...	83.27	...	83.27	27.37	...	27.37	...	...	...
33.04	खादी और ग्रामोद्योग 2552	...	...	...	28.86	...	28.86	25.31	...	25.31	...	...	...
	6552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	...	...	...	*28.86*	...	*28.86*	*25.31*	...	*25.31*	...	...	...
33.05	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2552	...	...	...	111.37	...	111.37	141.46	...	141.46	...	...	...
33.06	भारत नवाचार, उद्यमिता और कृषि-उद्योग निधि 2552	...	...	...	20.00	...	20.00	5.00	...	5.00	...	...	...
33.07	कॉयर उद्योग 2552	...	...	...	4.89	...	4.89	3.65	...	3.65	...	...	...
	जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभार्थ परियोजना /योजनाओं हेतु प्रावधान	...	...	...	*262.32*	...	*262.32*	*211.64*	...	*211.64*	...	...	...
34.	सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में निवेश 4851	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35.	वास्तविक वसूलियां 2851	-1.13	-0.09	-1.22	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***2384.57***	***382.03***	***2766.60***	***2612.51***	***394.91***	***3007.42***	***2620.00***	***400.88***	***3020.88***	***3000.00***	***464.77***	***3464.77***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	12851	...	519.86	519.86	...	430.00	430.00	...	430.00	430.00	...	439.00	439.00
जोड़		**...**	**519.86**	**519.86**	**...**	**430.00**	**430.00**	**...**	**430.00**	**430.00**	**...**	**439.00**	**439.00**
ग. योजना परिव्यय													
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	12851	2384.57	519.86	2904.43	2350.19	430.00	2780.19	2408.36	430.00	2838.36	2700.00	439.00	3139.00
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	262.32	...	262.32	211.64	...	211.64	300.00	...	300.00
जोड़		**2384.57**	**519.86**	**2904.43**	**2612.51**	**430.00**	**3042.51**	**2620.00**	**430.00**	**3050.00**	**3000.00**	**439.00**	**3439.00**

1. **सचिवालय की आर्थिक सेवाएं:** इसके अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी कार्यालय-व्यय आदि की व्यवस्था की जाती है।

2. **खादी, ग्राम एवं कॉयर उद्योगों का विकास:** (क) खादी अनुदान बजटीय शीर्ष के अंतर्गत खादी के संवर्धन एवं विकास के लिए आबंटन

(ख) खादी कारीगरों हेतु वर्कशेड स्कीमः

कत्तिनों और बुनकरों के सतत विकास एवं उनको सशक्त बनाने, उनकी आय में बढ़ोतरी करने तथा उन्हें कार्य करने का बेहतर वातावरण प्रदान करते हुए कताई और बुनाई का कार्य कुशलतापूर्वक निष्पादन करने के उद्देश्य से 'खादी कारीगर वर्कशेड स्कीईम' वर्ष 2008-09 से शुरू की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्कशेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता गरीबी रेखा से नीचे के खादी कारीगरों को खादी संस्थाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है जिससे खादी कारीगर जुड़े हुए होते हैं।

व्यक्तिगत वर्कशेड के निर्माण के मामले में वर्कशेड निर्माण सहायता राशि 45,000/- रूपये से बढ़ाकर 60,000/- रूपये एवं समूह वर्कशेड निर्माण के मामले में 30,000 रूपये से 40,000 रूपये कर दी गई है।

(ग) मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं का अवसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं विपणन अवसंरचना हेतु सहायताः

'घ' से 'ग' श्रेणी में उन्नत रूग्ण/समस्याग्रस्त संस्थाओं तथा वे संस्थाओं जिनका उत्पादन, बिक्री एवं रोजगार गिर रहे हैं जबकि उनमें सामान्यता प्राप्त करने की संभावना है, का पोषण करने के लिए खादी क्षेत्र हेतु आवश्यकता आधारित सहायता को सुसाध्य बनाने और चिन्हित केन्द्रों में विपणन अवसंरचना सृजन संबंधी सहायता करने के उद्देश्य से "मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना सुदृढ़ीकरण एवं विपणन अवसंरचना हेतु सहायता स्कीमम" तैयार की गयी है। इस स्कीढम के अंतर्गत मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं को उनकी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं चयनित खादी बिक्री केन्द्रों के नवीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

2.2. **ग्रामोद्योग (वीआई) अनुदान:** इस उप शीर्ष के अंतर्गत बजट प्रावधान का आशय प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा उपयुक्त आईटी सहायता के माध्यम से ग्रामोद्योगों का संवर्धन एवं विकास करना, नए उत्पादों के विकास के लिए आबंटन, ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए डिजाइन और बेहतर पैकेजिंग, केवीआईसी/केवीआईबी के मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों तथा केवीआईसी/केवीआईबी से संबद्व संस्थानों के उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन विकास शुरू करना, सामान्य सुविधा आदि उपलब्ध कराना है।

2.3. **खादी और ग्रामोद्योग (वि.एवं प्रौ.):** इस उप-शीर्ष में खादी और ग्रामोद्योगों के लिए केवीआईसी द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों पर व्यय करने के लिए बजटीय आबंटन का प्रावधान है।

इस शीर्ष के अधीन आबंटित निधि का उपयोग कॉयर बोर्ड के अनुसंधान और विकास से संबंधित कार्यकलापों में किया जाता है। कॉयर बोर्ड द्वारा प्रारंभ की गई विज्ञान और प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में रेशा निष्कर्षण में प्रक्रियागत सुधार, रेटिंग अवधि में ह्रास, उत्पादन विनिर्माण के आधुनिकीकरण, उत्पाद विकास, उत्पाद विविधीकरण आदि पर जोर दिया जाता है। इन परियोजनाओं से कामकाज में घीसते रहने से कमी की संभावना नजर आएगी जिससे कॉयर उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार और नये उत्पादों/प्रक्रमों का प्रवर्तन हो सकता है।

2.4. **खादी सुधार और विकास कार्यक्रम:** आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने एशियन विकास बैंक (एडीबी) और केवीआईसी के परामर्श से तैयार व्यापक खादी सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए 150 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि से वित्तीय सहायता का तालमेल किया है। इस सुधार पैकेज के अंतर्गत खादी की वर्धित संपोषणीयता, कारीगरों की वर्धित आय और रोजगार, वर्धित कारीगर कल्याण से खादी क्षेत्र का पुनरूद्वार करना और केवीआईसी को सरकारी अनुदान पर निर्भरता धीरे-धीरे कम करते हुए आत्मनिर्भर बनाने का प्रस्ताव है। आरम्भ में यह कार्यक्रम क्षेत्रीय संतुलन, भौगोलिक विस्तार और पिछड़े क्षेत्रों के समावेश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 300 खादी संस्थानों में कार्यान्वित किया जाएगा।

खादी सुधार और विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 76 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता राशि से 100 संस्थाओं अर्थात् 76 लाख रूपये/संस्थाय के संबंध में पहाड़ी, सीमावर्ती तथा उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) क्षेत्रों में एक खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम भी शुरू किया गया है जिसमें संस्थाओं के चयन तथा पहाड़ी सीमावर्ती तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों की संस्थाओं से जुड़े कारीगरों की न्यूनतम संख्या के मानदंड में छूट दी गई है।

2.5. **बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए):** खादी और ग्रामोद्योग आयोग की बाजार विकास सहायता स्कीम को बाजार संवर्धन एवं विकास सहायता स्कीम (एमपीडीए) के रूप में संशोधित किया गया है। एमपीडीए स्कीम 11वीं योजना में कार्यान्वित विभिन्न स्कीमों/उप स्कीमों/विभिन्न शीर्ष घटकों अर्थात् बाजार विकास सहायता, प्रचार, विपणन एवं बाजार संवर्धन का विलय करके एक एकीकृत स्कीम के रूप में तैयार की गई है। अवसंरचना के एक घटक अर्थात् विपणन परिसरों/खादी प्लाजाओं की स्थापना को खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन निवल मूल्य को बढ़ाने के लिए जोड़ा गया है।

पूर्ववर्ती बाजार विकास सहायता के अंतर्गत उत्पादक संस्थाओं (30 प्रतिशत), बिक्री करने वाली संस्थाओं (45 प्रतिशत) तथा कारीगरों (25 प्रतिशत) के बीच वित्तीय सहायता वितरित की गई। संशोधित एमपीडीए स्कीम के अंतर्गत उत्पादक संस्थाओं (20 प्रतिशत), बिक्री करने वाली संस्थाओं (40 प्रतिशत) तथा कारीगरों (40 प्रतिशत) के बीच वित्तीय सहायता वितरित की जाती है। इससे कारीगरों की आय में वृद्धि होगी।

2.6. **परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति):** केन्द्रीय बजट 2013-14 में सरकार ने लगभग 4 लाख कारीगरों को कवर करने के लिए 850.00 करोड़ रूपये के परिव्यय से 12वीं योजना के दौरान 800 खादी, ग्रामोद्योग तथा कयर क्लस्टरों को स्थापित करने की घोषणा की। प्रथम चरण के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 149.44 करोड़ रूपये के परिव्यय से 44,500 कारीगरों (लगभग) को कवरेज कर 71 क्लस्टर (कयर सहित) (छोटे-59, बड़े-10 तथा विरासत-2) को स्थापित करने का अनुमोदन दिया है। मंत्रालय ने लगभग 40000 कारीगरों को लाभान्वित करते हुए 22.44 करोड़ रूपये की लागत से 67 क्लस्टरों को अनुमोदित किया है।

2.7. **कॉयर विकास योजना:** कयर उद्योग के संपूर्ण विकास को संवर्धित करने के लिए और इस परंपरागत उद्योग में लगे कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय कयर बोर्ड की स्थापना की गई है। कयर उद्योगों के विकास के लिए बोर्ड के कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और आर्थिक अनुसंधान और विकास कार्यकलाप संचालित करना, नए उत्पाद और डिजाइन का विकास करना, भारत और विदेश में कयर और कयर उत्पादों के विपणन आदि शामिल हैं। साथ ही यह हस्क, कयर फाइबर, कयर यार्न के उत्पादकों एवं कयर उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच सहकारी संगठन, उत्पादकों एवं विनिर्माताओं को प्रोत्साहनकारी पारिश्रमिक आदि का संवर्धन करता है। बोर्ड ने कयर उद्योग जो देश में प्रमुख कृषि आधारित ग्रामीण उद्योग है, के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान गतिविधियां संचालित करने के

लिए दो अनुसंधान संस्थान नामतः, केंद्रीय कयर अनुसंधान (सीसीआरआई), कलावूर, अलैप्पी और केंद्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईसीटी), बेंगलूरू का संवर्धन किया है।

2.8. **कॉयर उद्यमी योजना:** कयर बोर्ड के माध्यनम से मंत्रालय कॉयर उद्योग के पुनरूज्जीवन, आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नययन (रिमोट) एक केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता अप्रचलित रटों/करघों के प्रतिस्थाकपन करने तथा वर्कशेड निर्माण के लिए उपलब्धत कराई जाती है जिससे कामगारों की उत्पादकता/उत्पा्दन तथा आय बढ़ सके। इस स्कीम के अंतर्गत कॉययर इकाइयों की स्थाापना के लिए अधिकतम सीमा बढ़ाकर (कत्तिन क्षेत्र में 80 हजार रूपये तथा अतिलघु/घरेलू क्षेत्र में 2 लाख रूपये) 10 लाख रूपये कर दी गई है। इस स्कीलम के अंतर्गत वित्तीपय सहायता का पैटर्न भारत सरकार के अनुदान के रूप में 40 प्रतिशत, बैंकों से ऋण के रूप में 55 प्रतिशत तथा 10 लाख रूपये तक की परियोजना वाली कॉयर इकाइयों की स्थापना के लिए लाभार्थी अंशदान के रूप में 5 प्रतिशत है। इस स्कीइम का दिनांक 31.12.2014 के आदेश के तहत कॉयर उद्यमी योजना (सीयूवाई) के रूप में पुनः नाम रखा गया है।

3.. **नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीतम (एस्पा्यर):** सूक्ष्मि, लघु और मध्यूम उद्यम मंत्रालय ने कृषि उद्योग में उद्यमिता बढ़ाने तथा नवप्रवर्तन एवं उद्यमिता के संवर्धन के लिए (नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन के लिए स्कीमम) एस्पाोयर नामक एक नई स्कीकम दिनांक 18.03.2015 को शुरू की है। एस्पाियर के अंतर्गत 80 आजीविका व्यकवसाय इंक्यूंबेशन (एलबीआई) केन्द्र8 स्थाैपित किए जाने हैं जिनमें कुल 104000 इंक्यूकबेट को प्रशिक्षित किया जाएगा और 30 (10 नये और 20 मौजूदा) प्रौद्योगिकी व्यशवसाय इंक्यूरबेशन केन्द्रों की सहायता कर स्थाैपना की जाएगी। नये उद्यमों के लिए सिडबी के अंतर्गत निधियों का एक कोष सृजित किया गया है और 60 करोड़ रूपये कोष प्रचालन के लिए जारी किए गए हैं।

3.02. **राष्ट्री य विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्क्लन ता कार्यक्रम (एमएमसीपी)::** इस कार्यक्रम में ऋण संबद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीशम, आईएसओ 9000/14001 प्रतिपूर्ति स्कीगम, जेडईडी मैच्योमरिटी मॉडल (जेडएमएम), राष्ट्री य विनिर्माण प्रतिस्पधर्धातमकता कार्यक्रम (छह स्कीडम) अर्थात् लीन विनिर्माण स्की म, आईसीटी औजारों का संवर्धन, गुणवत्ताक प्रबंधन मानक और गुणवत्ताय प्रौद्योगिकी, औजार, प्रद्योगिकी उन्नटयन गुणवत्ता प्रमाणन (टीईक्यूमयूपी), इंक्यूवबेशन केंद्र, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) और बार कोड शामिल हैं।

4.01. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)::** प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीयम पूर्व प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) स्कीरमों का विलय करके 2008-09 में शुरू की गई। पीएमईजीपी का उद्देश्यी परंपरागत कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की सहायता कर गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्मग उद्यमों की स्थावपना के माध्यगम से स्वररोजगार के अवसर सृजित करना है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 15 प्रतिशत मार्जिन मनी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाएं जैसी विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत है। परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रूपये है।

2008-09 से 2015-16 तक (31.12.2015 तक), 3.52 लाख इकाइयां की स्थाेपना की गई है जिनसे 6973.00 करोड़ रूपये की मार्जिन मनी सब्सिडी से अनुमानित 30.04 लाख व्यसक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन हुआ है। बजट अनुमान 2015-16 में 1050 करोड़ रूपये निर्धारित किए गए हैं और इस स्कीनम के अंतर्गत संशोधित अनुमान 2015-16 में 1275.68 रूपये बढ़ाये गये हैं। पीएमईजीपी के लिए 12वीं योजना में 8060 करोड़ रूपये आबंटित किए गए हैं।

4.02. **खादी और पॉलीवस्त्र के लिए ब्यामज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईएसईसी):** ब्याखज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्कीिम बजटीय स्रोतों से निधियों की वास्त विक आवश्याकता एवं उपलब्धा.ता के बीच अंतराल को भरने के लिए बैंकिंग संस्थाधनों से निधियों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए मई 1977 में प्रारंभ खादी कार्यक्रम के लिए वित्तर पोषण का प्रमुख स्रोत है। ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र के अंतर्गत संस्थांओं की अपेक्षानुसार रियायती ब्या।ज दर पर ऋण उपलब्ध् कराया जाता है। संस्थाथ को मात्र 4 प्रतिशत भुगतान करना होता है। 4 प्रतिशत से अधिक बैंक द्वारा प्रभारित ब्याज खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्ययम से केन्द्रे सरकार द्वारा चुकाई जाएगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग/राज्यय खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) में पंजीकृत सभी खादी संस्थ् ब्यायज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र स्की(म के तहत वित्तृ पोषण का लाभ ले सकते हैं।

4.03. **ऋण सहायता कार्यक्रम:** इस कार्यक्रम में दो स्कीमम अर्थात् ऋण गारंटी स्कीरम और भारत समावेशी नवप्रवर्तन निधि शामिल हैं। सूक्ष्मी, लघु और मध्य्म उद्यमों के लिए ऋण गारंटी स्कीमम प्रचालित है और इस स्कीलम के माध्यमम से, नए और मौजूदा सूक्ष्मद और लघु उद्यमों को सदस्यी ऋणदाता संस्था2ओं (एमएलआई) द्वारा 100 लाख रुपये तक के ऋण पर संपार्श्विक मुक्त् ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पोर्टफोलियो जोखिम निधि (पीआरएफ) के एक और घटक में, भारत सरकार सिडबी को सूक्ष्मि वित्त कार्यक्रम के लिए निधि प्रदान करती है जिसका उपयोग एमएफआई/एनजीओ से ऋण की राशि की सुरक्षा जमा आवश्यपकता के लिए किया जाता है।

4.04. **भारत की समावेशी नवचार निधि:** सूलमउ मंत्रालय की भारत समावेशी नवप्रवर्तन निधि ने सोशल रिटर्न और मोडेस्ट इकॉनॉमिक रिटर्न के साथ जमीनी स्तवर के नवप्रवर्तनों के संवर्धन के लिए 'भारत समावेशी नवप्रवर्तन निधि' के नाम से एक समर्पित निधि की स्था पना की है। यह निधि सामाजिक निवेश सकेन्द्रिण के साथ एक उद्यम लाभार्थ काम करेगी। भारत समावेशी नवप्रवर्तन निधि प्रारंभिक रूप से मूलभूत सेवाओं तक सीमित भौतिक और सांस्थाकनिक पहुँच वाले, भारत के आर्थिक पिरामिड के निचले आधे हिस्सेस में आने वाले नागरिकों के लिए, उद्यमों को विकसित करने वाले नवप्रवर्तनकारी समाधानों को सहायता देगा। इस निधि की कुल राशि आरंभिक आकार में 500 करोड़ रुपये और अधिकतम आकार में 5,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित है जिसमें भारत सरकार का आरंभिक अंशदान 100.00 करोड़ रुपये होगा। मंत्रिमंडल ने भारत समावेशी नवप्रवर्तन निधि स्था पना को अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

4.05. **निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम:** निष्पादन एवं ऋण रेटिंग स्कीम-इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं उदयमों को सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तक (अधिकतम 40000 रूपए तक) की आर्थिक सहायता दी जाती है जिसकी रेटिंग उनके कार्यनिष्पादन एवं ऋण योग्यता के लिए सूचीबद्ध प्रत्यायित ऋण रेटिंग एजेंसी द्वारा कराई जाती है

5. **विपणन विकास कार्यक्रम:** खुदरा बाजार में उत्पा दों के सफल अंतर्राष्ट्रीभय विपणन के लिए बार कोडिंग एक अति आवश्यणक आवश्य कता है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों द्वारा उत्पाणदों की बार कोडिंग को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए बार कोडिंग के लिए एकबार पंजीकरण लागत की 75% की प्रतिपूर्ति की एक स्की म सूक्ष्मक और लघु उद्यमों के लिए प्रचालित है। सूक्ष्म् और लघु उद्यमों को बड़े पैमाने पर बार कोडिंग अपनाने हेतु प्रोत्सारहित करने के लिए जीएसआई इंडिया द्वारा लिए जाने वाले वार्षिक शुल्की (आवर्ती) की पहले तीन वर्षों में सब्सिडी के रूप में प्रतिपूर्ति की जाती है। इस स्कीषम में उत्पाुद पेटेंट प्राप्त करने में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को सक्षम बनाने के लिए वित्तीकय सहायता भी शामिल है। सूक्ष्मक और लघु उद्यमों को अंतर्राष्ट्री य मेलों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्सा हित किया जाता है। निर्यात के लिए पैकेजिंग में भी विभिन्नो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसमें सूलमउ की उद्यमिता और प्रबंधन विकास, विपणन के लिए आनुषंगीकरण सहायता के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम भी शामिल है।

5.02. **विपणन सहायता स्कीम:** इस स्कीम के अंतर्गत, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विभिन्न घरेलू तथा अंतर्राष्टीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, गहन अभियानों और अन्य विपणन कार्यक्रमों के आयोजन/भागीदारी दवारा घरेलू तथा अंतर्राष्टीय बाजार में उनके उत्पादों के विपणन के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

5.03. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन के रूप में भी जाना जाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संवर्धन का उददेश्य भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और विदेशी उद्यमों के बीच भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एवं निर्यात संवर्धन प्रौद्योगिकी समिश्रण तथा/अथवा उन्नयन, उनके आधुनिकीकरण के विचार से संवर्धन करना है।

6. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्था न (एमगिरी):** महात्माण गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थांन की स्थामपना जमनालाल बजाज केन्द्री्य अनुसंधान संस्थागन, वर्धा का पुनरूद्धार करके 2001 में की गई। एमगिरी का उद्देश्या संपोषणीय और आत्मरनिर्भर ग्राम अर्थव्यावस्था0 के गांधीयन विजन की भाँति देश में ग्रामीण औद्योगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना तथा ग्रामीण उद्योग के उत्पा दों के उन्नमयन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहायता उपलब्धउ कराना है ताकि वे स्थाि‍नीय एवं वैश्विक बाजारों में व्या पक स्वीरकार्यता प्राप्तउ कर सकें।

एमगिरी के कार्यकलापों को वरिष्ठग वैज्ञानिकों/प्रौद्योगिकीविदों की अध्यशक्षता में उनके 6 विभागों द्वारा पूरा किया जा रहा है।

(i) रसायन आधारित उद्योग विभाग : इस विभाग का मुख्य ध्यान ग्रामीण रसायन उद्योग के खाद्य प्रसंस्कदरण, जैविक (ऑर्गेनिक) खाद्य एवं अन्यय उत्पाादक्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण जागरूकता एवं सामंजस्य का संवर्धन करना है। इसमें एक व्यानपक गुणवत्ता)पूर्ण परीक्षण सहायता भी प्रदान की जाती है तथा इस क्षेत्र में कुटीर एवं लघु इकाइयों की सुसाध्य ता हेतु क्षेत्रीय योग्य किट, तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कार्य किया जा रहा है।

(ii) खादी एवं वस्त्रय विभाग: इस विभाग द्वारा पूरे किए गए कार्यकलापों में नई प्रौद्योगिकी शुरू करने तथा गुणवत्तातपूर्ण आश्वाससन सहायता प्रदान करके खादी संस्थातओं में विनिर्मित उत्पावदों की उत्पाभदकता मूल्य वर्धन एवं गुणवत्ताक में सुधार करना है। यह पर्यावरण अनुकूल उत्पाि‍दों एवं पद्धतियों को सुसाध्यद बनाने के लिए कार्य भी करता है।

(iii) जैव-प्रसंस्कंरण उद्योग विभाग: एमगिरी का यह विभाग ग्रामीण उद्यमियों के संवर्धन, जैविक खाद, जैव उर्वरक एवं जैव कीटनाशक के उत्पागदन एवं उपयोग को सुसाध्यग बनाने हेतु प्रौद्योगिकी पैकेज एवं सामान्यक गुणवत्ताग आश्वाेसन पद्धतियां तैयार करता है। यह अनुभाग 'पंचगव्यय' एवं उनके गुणवत्तावपूर्ण आश्वागसन प्रक्रिया एवं सुविधाओं का प्रयोग करके नए सूत्र विकसित करने के प्रयास भी कर रहा है।

(iv) ग्रामीण ऊर्जा एवं अससंरचना विभाग: इस विभाग को ग्रामीण उद्योगों को सुसाध्यम बनाने के लिए ऊर्जा के सामान्यरत: उपलब्धर नवीकृत संसाधनों का उपयोग करके उपयोगकर्ता-अनुकूल तथा लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी का विकास करने तथा परंपरागत ग्रामीण उद्योगों की लेखापरीक्षा पूरी करने हेतु अधिदेशित किया गया है ताकि उनको ऊर्जा से क्षमतावान बनाया जा सके।

(v) ग्रामीण शिल्पा एवं अभियांत्रिकी विभाग: यह विभाग ग्रामीण कारीगरों के कौशल, रचनात्माकता एवं उत्पा दकता का उन्न यन करने तथा मूल्या-वर्धन को बढ़ावा देने एवं उनके उत्पाकदों की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता करता है।

(vi) प्रबंधन एवं पद्धति विभाग: यह विभाग वैश्विक स्तरर पर प्रतिस्पदर्धात्मउकता की वृद्धि के लिए ग्रामीण उद्योगों को सूचना एवं प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रदान करता है।

6.02. **उद्यमिता कौशल विकास संवर्धन:** विकास आयुक्त (सूलमउ) कार्यालय विकास आयुक्तक (सूलमउ) अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अपने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। प्रबंधन विकास कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एनडीपी, ईडीपी) कौशल, कार्यशाला/प्रशिक्षण के लिए प्रावधान और सूलमउ-विकास संस्थान् को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए व्याि‍पार संबंधित उद्यमिता सहायता और विकास (टीआरईएडी) स्कीि‍म को भी शामिल किया गया है जिसके अंतर्गत गैर-कृषि कार्यकलापों में महिलाओं के उद्यमिता कौशलों के विकास के माध्य म से उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

6.03. **प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता:** प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता (एटीआई) स्कीम के अंतर्गत निधियां तीन राष्ट्रीय संस्थानों अर्थात् राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), हैदराबाद, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड), नोएडा, भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

(एनएसआईसी), नई दिल्ली तथा केन्द्रीय औजार कक्ष, लुधियाना को देश भर में उद्यमिता सह कौशल विकास कार्यक्रमों (ईएसडीपी)/उद्यमिता विकास कार्यक्रमों (ईडीपी) को चलाने के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। इस स्कीम के अंतर्गत सहायता नये उद्यमिता विकास संस्थानों की स्थापना एवं मौजूदा उद्यमिता विकास संस्थानों के सुदृढ़ीकरण के लिए भी उपलब्ध कराई जाती है।

6.04. **राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (रगमी):** राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना (रगमी) का उद्देश्य 'उद्यमी हेल्पलाइन' (एमएसएमई कॉल सेंटर टोल फ्री सं. 1800-180-6763) के माध्यम से प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों एवं अन्य मौजूदा उद्यमियों को सूचना, सहायता, मार्गदर्शन तथा सहायता उपलब्ध कराना, सरकार की विभिन्न संवर्धनात्मक स्कीमों, उद्यम स्थापित करने एवं चलाने के लिए अपेक्षित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं तथा हेल्पलाइन कार्य नहीं करने के संबंध में उन्हें मार्गनिर्देश देना है।

7. **अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण:** सूलमउ क्लस्टर पर विकास कार्यक्रम विकास आयुक्त(सूलमउ)कार्यालय की महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है। क्लस्टरों के समग्र विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना निधियन के साथ अवसंरचनात्मक सहायता को भी जोड़ा गया है। महिलाओं के स्वातमित्वर वाले एमएसई द्वारा निर्मित उत्पाकदों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए प्रदर्शनी वेंट्रल स्थलों की स्थापना करने में क्लस्टर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत महिला उद्यमियों के सहयोग को भी सहायता दी जाएगी। इस कार्यक्रम के अन्य घटक प्रौद्योगिकी केन्द्रों प्रणाली कार्यक्रम और सूलमउ-टीसी/टीए हैं।

7.03. **ग्राम और लघु उद्योग के कार्यालय आवास का निर्माण:** इसमें क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए कार्यालय आवास के निर्माण की व्य वस्थार है।

8. **अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन 8.01 - डाटाबेस का उन्नयन ::** इस कार्यक्रम के अंतर्गत इकाइयों की संख्या , रोजगार की वृद्धि दर, जीडीपी में हिस्सा / उत्पाहदन का मूल्यं, रुग्ण ता/समापन का परिमाण और सूक्ष्मक, लघु और मध्युम उद्यमों के निर्यात के संबंध में वार्षिक सर्वेक्षण और पंचवार्षिक गणना के द्वारा आंकड़े और सूचना एकत्र किए जाते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, महिलाओं के स्वाडमित्व वाले और/अथवा उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों के आंकड़े भी एकत्र किए जाएंगे। राष्ट्रीय अवार्ड (उद्यमी और गुणवत्ता), विकास आयुक्त(सूलमउ) पुस्तकालय, लघु उद्यम सूचना और संसाधन नेटवर्क परियोजना (एसईएनईटी), प्रचार एवं प्रदर्शनी और विज्ञापन एवं प्रचार इस कार्यक्रम के अन्य घटक हैं। सूलमउ परीक्षण केन्द्र और सूलमउ परीक्षण स्टेशन (टीएस) सूक्ष्मस, लघु और मध्यम उद्यमों को परीक्षण सुविधाएं प्रदान करते हैं।

8.02. **सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान:** स्कीम का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विभिन्न पहलुओं तथा विशेषताओं पर संगत एवं विश्वसनीय आंकड़े नियमित रूप से/ समय-समय पर एकत्र करना, आनुभाविक आंकड़े अथवा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के संदर्भ में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सम्मुख आई बाध्यताएं तथा चुनौतियों का अध्ययन करना एवं विश्लेषण करना, तथा नीति अनुसंधान तथा समुचित कार्यनीति तैयार करना सरकार द्वारा हस्तक्षेप के उपायों के लिए इन सर्वेक्षणों तथा विश्लेषणात्मक अध्ययन के परिणाम का प्रयोग करना है।

9. **विकास आयुक्त (सूलमउ):** विकास आयुक्त। (सूलमउ) कार्यालय देश में सूक्ष्म , लघु और मध्य म उद्यमों के संवर्धन और विकास हेतु नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार, समन्वमय और मॉनीटरिंग करने के लिए नोडल एजेंसी है। विकास आयुक्ता केंद्रीय मंत्रालयों, योजना आयोग, राज्यि सरकार, वित्तीसय संस्थायओं, स्वैसच्छिक संगठनों और इस क्षेत्र के विकास से संबंधित अन्यज संगठनों के साथ निकट संपर्क बनाए रखता है। यह प्रावधान मुख्यासलय विकास आयुक्त (सूलमउ) के स्था पना संबंधित व्यीय के लिए है।